



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
दूरभाष: 011- 25846462
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsf@agricsf@gmail.com

No. : - SRG/Agri/28/2015-16/-2673

Dated: - 19.08.2015

केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ में हिस्सा आधार पर बीजोत्पादन हेतु निविदा सूचना

सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के चक 39 बी पीबीएन (662.00 एकड़ क्षेत्र) को प्रति 50 एकड़ हिस्सा आधार के माध्यम से कृषि फसलों रबी 2015-16 के बीज उत्पादन हेतु इच्छुक निविदादाताओं के लिये निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में फार्म के कृषि कार्यालय से रु. 200/- नकद शुल्क जमा कर प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्तें निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है परन्तु निविदा शुल्क की निर्धारित राशि रु.200/- निविदा देते समय साथ में संलग्न करना आवश्यक होगा, अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी। अमानत राशि का डी.डी. रु. 1,00,000/- (रु.एक लाख मात्र) जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सरदारगढ़, के नाम से सूरतगढ़ में देय हो, दिनांक 10.09.2015, को अपराह्न 1.00 बजे तक टेण्डर दिये जायेगे तथा सायं 03.00 बजे तक जमा कराना होगा व निविदाएं सायं 3.30 बजे उसी दिन निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा के साथ पैनकार्ड, राशनकार्ड व वोटर आई.डी. या आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

दिनांक 10.09.2015 को निविदाएं अस्वीकृत होने पर, निविदाएं पुनः दिनांक 17.09.2015 व 24.09.2015 को पूर्वनिर्धारित समय पर होगी। जिसकी नियम एवं शर्तें पूर्व की भांति रहेगी। निविदा संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.15 बजे तक कृषि कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

प्रबंधक (उत्पादन)
कृते प्रभारी निदेशक



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
दुर्लभ; jkT; Qke] I jnkjx< ½jkt-½
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsf@agricsf@gmail.com

निविदा प्रपत्र

निविदा दिनांक :-

हिस्सा आधारित पर बीजोत्पादन के माध्यम से केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ जिला श्री गंगानगर की चक नं. 39 पीबीएन जमीन पर बीज उत्पादन के लिये दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है। कम से कम 50 एकड़ जमीन पर बीजोत्पादन एक व्यक्ति या पार्टी को लेना होगा।

अवधि रबी 2015-16 के लिए

क्र.सं.	फसल का नाम	मु0 न0	एरिया (एकड़ में)	प्रतिशत हिस्से पर भूसा रहित

धरोहर राशि रुपये डी.डी. नं. दिनांक बैंक

निविदादाता का नाम

पूरा पता

फोन नं.

पेन नं. (प्रतिलिपि सहित)

वोटर आइडी (प्रतिलिपि सहित)

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि हम/हमारी फर्म निविदा की नियमों व शर्तों से सहमत है, जो कि मैंने स्वयं पढ़ ली हैं तथा समझ ली हैं। मेरी पूर्ण सहमति है इसलिए हस्ताक्षर कर निविदा प्रेषित है।

संलग्न :- मुरब्बावार सुचि

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम व पता

.....
.....
.....
.....

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ भूमि पर ठेके के माध्यम से बीज उत्पादन
कार्यक्रम की नियम व शर्तें

- 1 जे भूमि किसानों को दी जायेगी (Assigned), उसका उद्देश्य रबी 2015-16 में गेहूं, चना, सरसों, जौ, जई एवं तारामीरा की फसलों का बीज उत्पादन लेना होगा।
- 2 उपरोक्त फसलों का बीज उत्पादन कार्यक्रम भाग आधार (Share basis) पर प्रस्तावित होगा।
- 3 बीज उत्पादन कार्यक्रम निविदा की नियम व शर्तों पर होगा तथा भूमि का स्वामित्व फार्म के पास सुरक्षित होगा।
- 4 संविदा (Agreement) दिये गये फसल वर्ष पूर्ण होने तक ही होगा।
- 5 निविदा शुल्क प्रत्येक 50 एकड़ के लिए रुपये 100000/- (रुपये एक लाख मात्र) धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो कि "राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सरदारगढ" के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जो कि सूरतगढ में देय हो, लिया जायेगा। निविदा में सफल होने पर निविदादाता कि धरोहर राशि (EMD) सरक्षित धन (Security Money) में परिवर्तित कर दी जायेगी एवं असफल निविदादाताओं को जमा धरोहर राशि चैक के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।
- 6 सुरक्षित जमा धनराशि(Security Money) बीज उत्पादन कार्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त होने पर होने पर बिना किसी ब्याज के वापिस कर दि जायेगी।
- 7 जो भूमि निविदादाताओं को दी जायेगी (Assigned) उसमें आवश्यकता होने पर कोई सुधार किसान द्वारा/निविदादाताओं द्वारा किया जाता है तो उसमें जो भी खर्च होगा, वह निविदादाताओं द्वारा ही वहन किया जायेगा।
- 8 नहर (पी0बी0एन0) एवं ट्यूबवैल (02 नग) द्वारा पानी दिया जायेगा, फिर भी यदि पानी की कमी होती है तो निविदादाता अपने स्वयं के साधान से पानी की व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र होगा, एवं उसमें जो भी खर्च होगा उसे निविदादाता द्वारा ही वहन करना होगा।
- 9 फसल/प्रजाति का चुनाव फार्म द्वारा किया जायेगा, जिसे निविदादाता को स्वीकार करना होगा।
- 10 निविदादाता फसल अवशेष (तूड़ी, भूसा, डण्ठल) इत्यादि को ले जाने के लिए अधिकृत नहीं होगा, जो कि कटाई के पश्चात फार्म की सम्पति होगी।
- 11 निविदादाताओं को फार्म द्वारा निर्धारित उत्पादन लक्ष्य प्रति हेक्टेयर भूमि एवं पानी की उपलब्धता के अनुसार देना होगा। निर्धारित बीज 12% नमी पर देना होगा।
- 12 उत्पादन का सम्पूर्ण अंश (Share) निविदादाताओं को पूर्ण रूप से निर्धारित नमी तक सूखाकर एवं बैगिंग कर गोदाम में फार्म द्वारा MSP या लोकल APMC दर पर जो भी उच्चतम हो लिया जायेगा। शेष रॉ बीज का भुगतान इन्टेक के दो सप्ताह के अन्दर किया जायेगा।
- 13 बीज (Planting Material) जैसे प्रमाणित/आधार/प्रजनक फार्म द्वारा निश्चित विक्रय मूल्य पर नकद भुगतान पर दिया जायेगा।
- 14 निविदादाताओं को सभी प्रकार के इनपुट (उत्पादन सामग्री) जैसे बीज, खाद, दवा, मशीन, श्रमिक की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रमाणीकरण का सभी प्रकार का भुगतान निगम द्वारा वहन किया जायेगा।
- 15 सभी शस्य क्रियाएं जैसे भूमि की तैयारी, नर्सरी उत्पादन, पौधरोपण, खाद, दवा, रोगिंग, कटाई-मड़ाई, ट्रान्सपोर्टेशन, बीज की तौलाई, 12 % सुखाई एवं भराई इत्यादि निविदादाताओं द्वारा फार्म के दिशा निर्देशानुसार स्वयं के खर्च से करना होगा। बैग इत्यादि फार्म द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे।

- 16 फार्म पर उपलब्ध ट्रैक्टर यंत्र आदि निगम द्वारा निर्धारित किराये पर दिये जा सकते हैं।
 - 17 निविदादाता या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म की चल या अचल सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएगा। यदि इस प्रकार की कोई क्षति पायी जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति निविदादाता को भरपाई करनी होगी।
 - 18 निविदादाताओं द्वारा नहर एवं नालों की सफाई अपने खर्च से करनी होगी।
 - 19 फार्म किसी प्रकार से उत्पादन में कमी होने या क्षति होने में जिम्मेवार नहीं होगा जैसे प्राकृतिक आपदा, चोरी या अन्य किसी कारण से।
 - 20 निविदादाताओं को फार्म पर लगाये गये सभी श्रमिकों का पता एवं पहचान पत्र देना होगा।
 - 21 निविदादाता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा यदि वह अवैधानिक कार्य करते हुए या उसके अधीनस्थ कार्यरत व्यक्तियों के द्वारा कोई दुर्व्यवहार करने की स्थिति में उस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जायेगी।
 - 22 निविदादाता द्वारा आयकर/सेवाकर एवं अन्य लेवी जो कि नियमानुसार देय हो, यदि पंजीकृत नहीं है तो यह एन0एस0सी0 द्वारा दिया जायेगा एवं उसे निविदादाता से भरपाई कर ली जायेगी।
 - 23 निविदादाताओं को जो प्रक्षेत्र बीज उत्पादन हेतु आंठित कर दिया जायेगा, वह उस क्षेत्र को किसी अन्य पार्टी/व्यक्ति को आगे बीज उत्पादन हेतु नहीं देगा।
 - 24 सक्षम अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह निविदा को निरस्त व स्वीकृत बिना किसी पूर्व सूचना के कर सकता है।
 - 25 कार्य का आदेश निविदा स्वीकृत होने के पश्चात दिया जायेगा। सफल निविदादाता को सुरक्षा राशि के तहत रुपये 100000/- (रुपये एक लाख मात्र) कार्यादेश की तारीख के पश्चात सात दिवस के अन्दर जमा करवाना होगा।
 - 26 निविदादाता को कार्यादेश के नियम व शर्तों को रुपये 100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखकर अनुबन्ध करना होगा। रुपये 100/-मात्र का स्टाम्प पेपर निविदादाता को क्रय करना होगा, जिसकी मूल प्रति रिकार्ड हेतु फार्म के पास सुरक्षित रहेगी एवं उसकी प्रमाणित प्रति निविदादाता को दी जायेगी।
- (अ) निविदादाता रॉ-बीज लेने का अधिकारी नहीं होगा, जब तक कि सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं होगी।
- (ब) निविदादाता तूड़ी, डण्डल इत्यादि को लेने का अधिकारी नहीं होगा।
- vkchV'ku&** फार्म प्रबन्ध एवं निविदादाता के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इसका मसौदा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के माननीय अध्यक्ष सहप्रबन्ध निदेशक को सुपुर्द कर दिया जायेगा या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों का फैसला अंतिम माना जायेगा। सभी प्रकार के विवाद के लिए सुरतगढ कार्यालय मान्य होगा।

प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते निदेशक

National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, Sardargarh(Raj,)
Square wise area list at chak 39 PBN (at block-IV)

S. No.	Square no.	Area in acre	S.No.	Square no.	Area in acre
1	57/372	9.00	31	62/375	10.00
2	57/373	14.00	32	63/370	5.00
3	57/374	15.00	33	63/371	12.00
4	57/375	15.00	34	63/372	14.00
5	57/376	3.00	35	63/373	15.00
6	58/372	12.00	36	63/374	15.00
7	58/373	15.00	37	63/375	9.00
8	58/374	15.00	38	64/370	8.00
9	58/375	15.00	39	64/371	14.00
10	58/376	3.00	40	64/372	14.00
11	59/371	1.00	41	64/373	14.00
12	59/372	14.00	42	64/374	14.00
13	59/373	15.00	43	64/375	7.00
14	59/374	15.00	44	65/370	11.00
15	59/375	15.00	45	65/371	14.00
16	59/376	3.00	46	65/372	14.00
17	60/371	5.00	47	65/373	15.00
18	60/372	14.00	48	65/374	15.00
19	60/373	13.00	49	65/375	5.00
20	60/374	15.00	50	66/370	15.00
21	65/375	12.00	51	66/371	14.00
22	61/371	12.00	52	66/372	14.00
23	61/372	14.00	53	66/373	15.00
24	61/373	15.00	54	66/374	15.00
25	61/374	15.00	55	66/375	3.00
26	61/375	11.00	Total		662.00
27	62/371	12.00			
28	62/372	14.00			
29	62/373	15.00			
30	62/374	15.00			

Manager(P)